आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)नविवि/2020 जयपुर दिनांकः– 05 APR 2023

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.23 के बिन्दु संख्या 2 ''मिश्रित भू–उपयोग के संबंध में'' बिन्दु संख्या 2.1 के नोट को विलोपित करते हुए बिन्दु संख्या 2.3 को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है:–

1. आवासन मंडल द्वारा निकायों को हस्तान्तरित की गई योजनाऐं, निकाय की योजनाऐं मानी जायेंगी। जिन प्रकरणों में सक्षम समिति द्वारा पूर्व में निर्णया लिया जा चुका है अथवा आंशिक/पूर्ण राशि जमा हो चुकी है, उनमें भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी कर परिवर्तित भू–उपयोग के अनुसार ही पट्टे दिये जावें।
2. पट्टेशुदा/लीज डीड जारी किये गये भूखण्डों में भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 2(vii)(ख)(iv) एवं 6(1) की तालिका के क्रम संख्या 2(ii) में उल्लेखित सक्षमता के अनुसार पट्टेशुदा भूखण्ड का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा। परन्तु आवासन मंडल की योजनाऐं जो निकाय को हस्तान्तरित नहीं हैं, उनमें भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा ही किया जावेगा।
3. पट्टाशुदा भूखण्ड का प्रस्तावित भू–उपयोग मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित होने पर ही मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप माना जायेगा, परन्तु मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित नहीं होने पर अनुज्ञेय नहीं माना जायेगा। केवल डी.सी.आर के आधार पर पट्टेशुदा भूखण्ड का उपयोग मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप नहीं माना जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

CamScanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, नविवि